उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।

संख्या : 1920–पी0 एण्ड आर0–28 / पाकालि / 2012–46पी / 89 दिनांक : **23** मई, 2012

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की 89वीं बैठक में, कारपोरेशन मुख्यालय में एक अलग पेंशन भुगतान इकाई स्थापित किये जाने विषयक, प्रस्तुत प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुरूप, शक्ति भवन विस्तार स्थित मुख्य अभियन्ता (पारेषण–द्वितीय) के नियंत्रणाधीन संचालित पेंशन आहरण एवं वितरण इकाई के कार्य का विभाजन करते हुए, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय से सेवानिवृत्त हो चुके / होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेंशन आहरण एवं वितरण सहित समस्त नैवृत्तिक देयों के भुगतान का कार्य, एतद्द्वारा, मुख्यालय स्थित सचिवालय प्रशासन(लेखा) अनुभाग के अधीन नवगठित होने वाली **पेंशन आहरण इकाई (मुख्यालय)** को आवंटित किया जाता है।

नवगठित पेंशन आहरण इकाई (मुख्यालय) के माध्यम से पेंशन आहरण एवं वितरण के कार्य के सुचारू संचालन हेतु अधोलिखित कार्यकारी आदेश जारी किये जाते है।

1. पेंशन आहरण इकाई मुख्यालय स0प्र0(लेखा) का हिस्सा होगी तथा अनुभाग के नियंत्रक अधिकारियों के नियत्रणाधीन कार्य करेगी।
2. पेंशन आहरण इकाई मुख्यालय में अधोलिखित कार्मिकों की तैनाती परिविस्तारण (Deployment) के माध्यम से की जायेगी :–
   (1) समीक्षा अधिकारी – 02 पद (सचिवालय संवर्ग)
   (2) समीक्षा अधिकारी(लेखा) – 02 पद (लेखा मुख्यालय संवर्ग)
   उपरोक्त पदों के अतिरिक्त इस इकाई को पूर्व सैनिक कल्याण निगम से संविदा के आधार पर 02 कम्प्यूटर आपरेटर भी उपलब्ध कराये जायेगें।
3. पेंशन आहरण इकाई मुख्यालय हेतु शक्ति भवन मुख्यालय के तृतीय तल पर एक अलग कक्ष आवंटित किया जायेगा।
4. पेंशन आहरण इकाई मुख्यालय के माध्यम से ऐसे समस्त संवर्ग के अधिकारियों / कर्मचारियों के पेंशन सहित नैवृत्तिक देयों का आहरण एवं भुगतान किया जायेगा जो मुख्यालय स्थित सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग के माध्यम से अन्तिम सेवारत अवधि का वेतन आहरित कर सेवानिवृत्त होगें।
5. केन्द्रीय लेखा कार्यालय स्थित पेंशन इकाई द्वारा पी0पी0ओ0 / जी0पी0ओ0 / सी0पी0ओ0 जारी करने की वर्तमान व्यवस्था यथावत रहेगी। मुख्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों से सम्बन्धित पी0पी0ओ0 / जी0पी0ओ0 / सी0पी0ओ0, अनु सचिव / उप सचिव सचिवालय प्रशासन(लेखा) के पक्ष में निर्गत होगें।
6. सेवानिवृत्तक देयों का भुगतान सामान्यतया बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा किन्तु विकल्पानुसार चेक के माध्यम से भी भुगतान की व्यवस्था विद्यमान रहेगी। अनु सचिव / उप सचिव, स0प्र0(लेखा), पेंशन आहरण इकाई मुख्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी (D.D.O.) होगें।
7. वर्तमान में संचालित विद्युत यांत्रिक इकाई से पेंशन आहरित कर रहे कारपोरेशन मुख्यालय / केन्द्रीय लेखा कार्यालय से सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों / पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी अभिलेख पेंशन आहरण इकाई को हस्तांतरित किये जाएगें।
8. उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में तैनात / तैनात होने वाले मुख्यालय संवर्ग के सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन सहित नैवृत्तिक देयों के भुगतान का कार्य भी पावर कारपोरेशन मुख्यालय में गठित होने वाली पेंशन आहरण इकाई मुख्यालय द्वारा सम्पादित किया जाएगा तथा उ0प्र0 पावर

क्रमशः.....................2/–

ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के मुख्यालय कार्यालय के सृजन/कार्यशील होने पर उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 मुख्यालय की पदधारिता वाले कार्मिकों/सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अभिलेख उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के सम्बन्धित कार्यालय को हस्तांतरित कर दिये जाएगें।

9. पेंशन आहरण इकाई मुख्यालय के नाम, सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की अशोक मार्ग शाखा में एक अलग खाता खोला/अनुरक्षित किया जायेगा।
10. मुख्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए यह विकल्प होगा कि वे शक्ति भवन(मुख्यालय)/शक्ति भवन विस्तार स्थित पेंशन आहरण इकाईयों अथवा प्रदेश के अन्य जिलों की पेंशन आहरण इकाईयों मे से किसी भी इकाई का अपनी इच्छानुसार पेंशन आहरण हेतु चयन कर सकेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

(ओ0पी0 जैन)
निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या : 1920(1)पी0 एण्ड आर0–28/पाकालि/2012, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित् :–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वित्त)/(वितरण)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय)/(अराजपत्रित), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप महाप्रबन्धक(लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक एवं पेंशन इकाई, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अनु सचिव, स0प्र0(लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी(पेंशन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0, शक्ति भवन–विस्तार, लखनऊ।
13. उ0प्र0पा0का0लि0(मु0)/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0(मु0)/केन्द्रीय लेखा कार्यालय स्थित समस्त अधिकारी/अनुभाग/शिविर।
14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–405, उ0प्र0पा0का0लि0, षक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(रज्जन लाल) 28/5/12
अपर सचिव (अरा0)